

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

!!संकल्प!!

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि डा० गौरव कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वैसा, पूर्णियाँ के पदस्थापन काल में दिनांक-29.05.2023 से 13.08.2024 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप जैसा कि आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट है। इसलिए बिहार राज्यपाल ने सकल्प किया है कि उक्त डा० गौरव कुमार के विरुद्ध अनुबन्ध में वर्णित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की जाए।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के अधीन डा० अलका सिन्हा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-9, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. डा० कुमार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के अन्दर अथवा किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित हों।

4. इसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री की सहमति प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प एक प्रति संचालन पदाधिकारी/उपस्थापन पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-९/आ०-०९-०५/२०२४(स्वा०)...../ पटना, दिनांक :.....

प्रतिलिपि:-आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित डा० अलका सिन्हा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जाँच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-९/आ०-०९-०५/२०२४(स्वा०)...../ पटना, दिनांक :.....

प्रतिलिपि:-आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-०९, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (उपस्थापन पदाधिकारी) को उपस्थापन दाखिल करने हेतु / डा० गौरव कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वैसा, पूर्णियाँ को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सिविल सर्जन, पूर्णियाँ से अनुरोध है कि इसकी प्रति आरोपित पदाधिकारी को तामिला करा कर तामिला प्रतिवेदन विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-९/आ०-०९-०५/२०२४(स्वा०) 294(9) / पटना, दिनांक : 21.3.25

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

21/03/2025

सरकार के अवर सचिव।

(15)

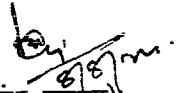
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापन

सं०सं०-9/आ०-09-05/2024(स्वा०).....716(9)...../ पटना, दिनांक.....09.08.24

सिविल सर्जन, पूर्णियाँ के पत्रांक-568 दिनांक-13.03.2024 के प्रतिवेदन में डॉ० गौरव कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वैसा, पूर्णिया के विरुद्ध दिनांक-29.05.2023 से लगातार कर्तव्य पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोप से संबंधित आरोप पत्र (प्रपत्र-क) अवचार या कदाचार के लांछनों का सार, लांछनों का अभिकथन तथा आरोप को सिद्ध करने वाले साक्ष्य/दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करते हुए डॉ० कुमार से अपेक्षा की जाती है कि एक पक्ष के अन्दर अपने बचाव का एक लिखित अभिकथन आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें तथा साथ ही यह भी बताएँ की जिन लांछनों को उनके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है उनकी व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं।
3. डॉ० कुमार को यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अवचार या कदाचार के लांछनों के संबंध में बचाव का लिखित अभिकथन अगर विनिर्दिष्ट अवधि तक प्राप्त नहीं होता है, तब विभागीय जाँच एक पक्षीय उपलब्ध साक्ष्य अभिलेखों के आधार पर कर ली जायेगी।
4. कृपया इस आरोप पत्र की प्राप्ति स्वीकार किया जाय।

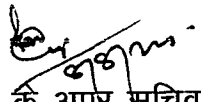

(शंभू शरण)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-9/आ०-09-05/2024(स्वा०).....716(9)...../ पटना, दिनांक.....09.08.24

प्रतिलिपि-डॉ० गौरव कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वैसा, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सिविल सर्जन, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इसकी प्रति आरोपित पदाधिकारी को तामिला करायी जाय।


सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आरोप-पत्र

716(9)
09.8.24

[नियम-17(3) तथा विनियम 3 द्रष्टव्य]

(1). प्रथम भाग-सरकारी सेवक से संबंधित व्यक्तिगत सूचनाएँ

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| 1. नाम | — | डॉ० गौरव कुमार |
| 2. पदनाम | — | चिकित्सा पदाधिकारी |
| 3. जन्म तिथि | — | 01.12.1992 |
| 4. सेवानिवृत्ति की तिथि | — | 30.11.2059 |
| 5. सेवा/संवर्ग का नाम | — | बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग |
| 6. पद समूह एवं विभाग | — | 'ख' / स्वास्थ्य विभाग |
| 7. वरीयता क्रम / सिविल लिस्ट क्रमांक | — | |
| 8. वेतनबैंड एवं ग्रेड पे / वेतन पर | — | लेवल-9 (9300-34800) |
| 9. आरोप वर्ष एवं तत्कालीन पदस्थापन | — | वर्ष-2023 / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वैसा, पूर्णियाँ। |

10. बिहार पेंशन नियमावली के नियम

43बी के तहत कालबाधित होने की तिथि- लागू नहीं।


(शंभू शरण)
सरकार के अपर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

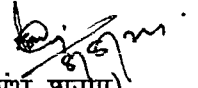
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

716(9)
०९.०८.२४

13

(2). द्वितीय भाग—अवचार या कदाचार के लांछनों का सार

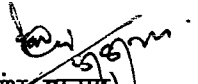
1. सिविल सर्जन, पूर्णियाँ के पत्रांक—568 दिनांक—13.03.2024 के प्रतिवेदन में डॉ० गौरव कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वैसा, पूर्णिया के विरुद्ध दिनांक—29.05.2023 से लगातार कर्तव्य पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित किया गया है।
2. आपका उपर्युक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 नियम—3 (1) (i) (ii) एवं (iii) में निहित प्रावधान के प्रतिकूल है एवं कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारित का द्योतक है।


(शंभू शरण)

सरकार के अपर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

(3). तृतीय भाग-अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन

1. डॉ० गौरव कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वैसा, पूर्णिया दिनांक-29.05.2023 से अवकाश में रहने संबंधी आवेदन सिविल सर्जन, पूर्णिया के समक्ष समर्पित किया गया जो नियमानुकूल न होने के कारण सिविल सर्जन, पूर्णिया के कार्यालय पत्रांक-1308 दिनांक-05.06.2023 द्वारा अस्वीकृत करते हुए कार्य स्थल पर योगदान करने हेतु निदेशित किया गया। परन्तु डॉ० कुमार द्वारा अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होने पर दिनांक-29.05.2023 से लगातार कर्तव्य पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित किया गया है।
2. आपके कर्तव्य पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण संस्थान में चिकित्सीय सुविधा बाधित होने से इनकार नहीं किया जा सकता है।
3. राज्य सरकार आमजनों को गुणवत्ता पूर्ण चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। आपके इस कृत्य से राज्य सरकार की छवि धूमिल हुई है।
4. आपका उपर्युक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 नियम-3 (1) (i) (ii) एवं (iii) में निहित प्रावधान के प्रतिकूल है एवं कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारित का द्योतक है।


(शंभू शरण)

सरकार के अपर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

716(9)
09.8.24

(4). चतुर्थ भाग—(क) दस्तावेजों की सूची
(जिनके द्वारा आरोप की मदों को सिद्ध करना प्रस्तावित हो)

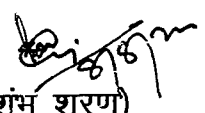
क्र०सं०	संबंधित पत्र/अभिलेख	पृष्ठों की संख्या
1.	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अमौर के पत्रांक-254 दिनांक-05.06.2023	कुल 3 पृष्ठ
2.	सिविल सर्जन, पूर्णियाँ के कार्यालय पत्रांक-1308 दिनांक-05. 06.2023 एवं 2917 दिनांक-13.12 2023	कुल 2 पृष्ठ

कुल 05 पृष्ठ

(ख) साक्षियों की सूची

(नाम एवं पदनाम):—~~शून्य~~

सिविल सर्जन, पूर्णियाँ


(शंभू शरण)

सरकार के अपर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक 254

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
सामु0 स्वा0 केन्द्र, बैसा, पूर्णियाँ।

29/6
06/06/23

अरौनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी पूर्णियाँ।

बैसा दिनांक 05/06/2023

विषय:- डा0 गौरव कुमार चिकित्सा पदाधिकारी सामु0 स्वा0 केन्द्र, बैसा द्वारा नियमानुकूल छुट्टी का आवेदन नहीं देने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि डा0 गौरव कुमार (चिकित्सा पदाधिकारी) द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है। अवकाश का आवेदन उचित नियमों के पालन के तैगर वह मेडिकल Leave पर चले गए है जब की भवदीय के नाम होना चाहिए प्रभारी के नाम छुट्टी किया गया है। Proper Channel द्वारा आवेदन नहीं है। एदं डाक से भेज दिया है जिसकी सूचना श्रीमान् को दी जा रही है। एतं आवेदन की प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है।

विश्वासभाजन

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
सामु0स्वा0 केन्द्र, बैसा पूर्णियाँ।

श्री १० महेश प्रसाद
 डॉ. प्राध्यापक (आर्यो)
 गौरी एम. सी. एन.

शा-२

PATNA MEDICAL COLLEGE HOSPITAL

Patient Name
 No. of
 Department
 Address

Room No.
 Date of Admission
 Name of Doctor

Handwritten notes in the left margin, including dates and medical observations.

Handwritten notes in the right margin, including dates and medical observations.

Comm. in OPD
 after 12.30

11/2/57,

1871 July 21

3/ राशि का medical leave की साथ से (लिखें कि) 31/12/2020 तक
 2 वर्षों के लिए निर्धारित कर रहे हैं। इसीलिए 31/12/2020 तक
 आगामी 2 वर्षों

[illegible][illegible]

डा. अमर प्रकाश कादरी,
असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियाँ।

सरकार के रायुक्त सचिव
स्वास्थ्य विभाग,
बिहार,टना।

पूर्णियाँ, दिनांक 13/12/23

विषय—
महाराज,

लंबी आगधे से अनुपस्थित चिकित्सक पर अनुशासनिक कार्यवाई करने के संबंध में।

उपरोक्त विषय में संलग्न है 10 पूर्णियाँ जिला अंतर्गत निम्नलिखित पदाधिकारी लंबी अवधि से अनुपस्थित हैं, जिस कारण चिकित्सकीय कार्य प्रभावित हो रहते है।

क्र.सं.	चिकित्सक पदाधिकारी का नाम	विशेषज्ञ विपदा	अनुअस्थ पदाधिकारी का नाम	अनुअस्थ पदाधिकारी का दिनांक	इस कार्यवाही के दिनांक
1	डा. अनिरुध तामर	विशेषज्ञ विपदा	अनुअस्थ पदाधिकारी	10.03.2023 से लगातार	इस कार्यवाही के दिनांक 06.06.23 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में प्रतिवेदित
2	डा. अनिरुध तामर	विशेषज्ञ विपदा	अनुअस्थ पदाधिकारी	18.10.2022 से लगातार	इस कार्यवाही के दिनांक 03.02.2023 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में प्रतिवेदित
3	डा. अनिरुध तामर	विशेषज्ञ विपदा	अनुअस्थ पदाधिकारी	24.04.2021 से लगातार	स्वास्थ्य विभाग में दिनांक 06.06.2023 के द्वारा प्रतिवेदित
4	डा. अनिरुध तामर	विशेषज्ञ विपदा	अनुअस्थ पदाधिकारी	19.07.2022 से लगातार	इस कार्यवाही के दिनांक 06.06.23 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में प्रतिवेदित
5	डा. अनिरुध तामर	विशेषज्ञ विपदा	अनुअस्थ पदाधिकारी	22.07.2023 से लगातार	इस कार्यवाही के दिनांक 11.09.2023 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में प्रतिवेदित
6	डा. अनिरुध तामर	विशेषज्ञ विपदा	अनुअस्थ पदाधिकारी	29.05.2023 से लगातार	इस कार्यवाही के दिनांक 06.06.23 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में प्रतिवेदित
7	डा. अनिरुध तामर	विशेषज्ञ विपदा	अनुअस्थ पदाधिकारी	11.09.2021 से लगातार	इस कार्यवाही के दिनांक 06.06.23 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में प्रतिवेदित
8	डा. अनिरुध तामर	विशेषज्ञ विपदा	अनुअस्थ पदाधिकारी	08.08.2021 से लगातार	इस कार्यवाही के दिनांक 06.06.23 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में प्रतिवेदित
9	डा. अनिरुध तामर	विशेषज्ञ विपदा	अनुअस्थ पदाधिकारी	28.12.2023 से लगातार	इस कार्यवाही के दिनांक 06.06.23 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में प्रतिवेदित
10	डा. अनिरुध तामर	विशेषज्ञ विपदा	अनुअस्थ पदाधिकारी	17.12.2021 से लगातार	इस कार्यवाही के दिनांक 06.06.23 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में प्रतिवेदित

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त अनुपस्थित पदाधिकारी / विशेषज्ञ चिकित्सक पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने के कारण में संलग्न अनुशासनिक कार्यवाही की जाय तथा उक्त कार्यवाही के रिक्त मानते हुए नया चिकित्सक की नियुक्ति करने की कृपा की जाय। लंबी अवधि से अनुपस्थित नही हो सकें।

अनुशासनिक— यथोक्त।

विश्वरामाजन

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियाँ

1. The above is a true and correct copy of the original document as it appears in the original file.

1. The following information is provided for the year ended 31 March 2023:
 2. The company has a number of subsidiaries and associates.
 3. The company has a number of subsidiaries and associates.
 4. The company has a number of subsidiaries and associates.

[illegible]

1995

കാലാവസ്ഥ, അഭിനവ, നീക്കം ചെയ്ത കളി ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിഹാരം.